

प्रारूप-3

भाग-2 (रांबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्यक्रम उत्तराखण्ड

(ii) जिला लखनऊ

(iii) जिला वन प्रभाग

पूर्वकाशी वन प्रभाग

(iv) पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र वन - अशोकी - भीताकोट

17 पूर्वकाश के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः सिविल एवं चन्द्र पर्कपत भूमि

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्योग -वीड़, छाल,

(i) वन का प्रकार उत्तराखण्ड

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनतर ३

(iii) प्रजातिवाद स्थानीय या वैज्ञानिक नाम औं गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना सेलन

(iv) पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा कोई नहीं

19 भूमिका की सीमा से पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थानांकिति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूमिका स्थानांकिति

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग ५.८० किलोमीटर

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वकाश में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा कोई नहीं

(i) पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विवाहान वन्यजीव का व्योग उत्तराखण्ड वन-पर्कपत उपलब्ध नहीं

(ii) वया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अन्याय जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अतिवास गतियारे आदि के भाग का निर्माण

करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बारे में और उपायद्वय किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्ड की ओर टीका टिप्पणियों उपायद्वय की जाए) नहीं

(iii) वया किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अन्याय जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली नहीं प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे में और मुख्य वन्य जीव वार्ड की टीका-टिप्पणियों उपायद्वय की जाए) कोई नहीं

(iv) वया राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अन्याय जीव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गतियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वकाश के लिए उपयोगिता की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे में और मुख्य वन्य जीव वार्ड की टीका-टिप्पणियों उपायद्वय की जाए) कोई नहीं

(v) वया क्षेत्र में वनस्पति और जीव जाति के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बारे में कोई नहीं

22 वया क्षेत्र में कोई सरक्षित पुरातात्वीय या विशासत स्थल या प्रतिशालनक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण समारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायद्वय किए जाने के लिए संशम प्राधिकारी से उनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ ओ) के साथ उसका व्योग दे) नहीं

23 पूर्वकाश के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की मुश्वियुतता के बारे में टीका टिप्पणिया दे कोई नहीं

(i) वया भाग- 1 के पैसा ६ और पैसा ७ में प्रयोगता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति उत्तराखण्ड वन-पर्कपत

न्यूनतम है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वकाश के लिए उपयोग किया जा सकता है। है

24. किए गए अतिक्रमण के बारे

(i) वया अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है है/नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्भूत वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदाती व्यवित (यो) का नाम, परे और पदनाम सहित

अतिक्रमण के बारे में अतिक्रमण के लिए उत्तरदाती व्यवित (यो) के विस्तार की गई कार्यवाही नहीं

(iii) वया अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है है/नहीं

25 क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः ट्रिलिंग वन प्रॉजेक्ट

(ii) अवस्थिति, सर्वकाश या कम्पार्टमेंट या खासरा, सख्त्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन

जैसे व्याप्रे दे। सेलन

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन सीमाएँ व्याप्रे या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत

भारत का संवेदन और सामीक्ष्य वन सीमाएँ सेलन है। है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों का वर्णन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूरक बनेवण स्कीम के व्यापक संलग्न हैं।

(हाँ / नहीं)

(v) क्षतिपूरक बनारेपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय ~~करोड़~~ 1

(vi) वया क्षतिपूरक दवाएँ और प्रब्यधन के दृष्टिकोण से प्रदान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सम्बद्ध उपलब्ध सं

प्रमाण-पत्र सलग्न है (हा✓ नहीं)।

26. बनस्पति और जीव जुट प्रसारित कियाकालों के समान्वय से सम्बद्ध महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लान बाल उप बन संस्कार का गता निरीक्षण रिपोर्ट सलग है। (ए) / (नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा काण्डों के साथ प्रस्ताव के लिए उप बन सरकार की विनादिष्ट सिफारिश।

स्थान - अलमोड़ा
तारीख - ३१-०८-२०१५

हस्ताक्षर नाम शासकीय प्रशासन अधिकारी
प्रभागाचे वनाधिकारी
अलमोड़ा वन प्रभाग, अलमोड़ा